



## अभिभावकों के अधिकार

### इंटरप्रेटेशन और अनुवाद सेवाएँ

सभी अभिभावकों को यह अधिकार प्राप्त है कि उन्हें अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में उनको समझ में आने वाली भाषा में जानकारी प्राप्त हो। जब स्कूल में आपके बच्चे का नामांकन होगा, तो स्कूल आपसे उस भाषा के बारे में पूछेगा, जिसका उपयोग आप स्कूल के साथ संचार करते समय करना चाहेंगे। इससे आपके स्कूल को आपकी भाषा की पहचान करने में सहायता मिलती है, ताकि वे आपको निःशुल्क एक इंटरप्रेटर या अनुवादित दस्तावेज़ प्रदान कर सकें।

**आप अपने स्कूल और स्कूल डिस्ट्रिक्ट से क्या अपेक्षा कर सकते हैं**

**आप अपने बच्चे की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं!**

स्कूल को आपके बच्चे की शिक्षा के बारे में आपके साथ—आपकी भाषा में—संचार करना चाहिए। इसमें अक्सर मीटिंग और बातचीत के लिए अनुवादित दस्तावेज़ और एक भाषा इंटरप्रेटर शामिल होते हैं।

यदि आप कुछ-कुछ अंग्रेज़ी बोलते हैं और यदि आपका बच्चा अंग्रेज़ी में बोल या पढ़ सकता है, तब भी आपको इन सेवाओं का अधिकार प्राप्त है।

स्कूल को आपके बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी और अवसरों के बारे में आपसे आपकी भाषा में संचार करना चाहिए। इसमें निम्न से संबंधित जानकारी शामिल होती है:

- स्कूल में पंजीकरण और नामांकन
- श्रेणियाँ, शैक्षणिक मानक और सातक
- स्कूल के नियम और छात्र अनुशासन
- उपस्थिति, अनुपस्थिति और वापसी
- गतिविधियों या कार्यक्रमों के लिए अभिभावकों की अनुमति
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपातकाल
- स्कूल बंद होना
- कार्यक्रमों और सेवाओं तक पहुँचने के अवसर—जिनमें अत्यधिक कुशल, उन्नत प्लेसमेंट और अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं
- अक्षमताओं वाले छात्रों हेतु विशेष शिक्षा और सेवाएँ

#### अध्यापकों और स्कूल के कर्मचारियों के साथ मीटिंग और बातचीत

शिक्षकों या स्कूल के कर्मचारियों से बात करते समय, ज़रूरत पड़ने पर स्कूल को आपको दुभाषिया उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें अभिभावक-अध्यापक कॉन्फ्रेंस, विशेष शिक्षा के बारे में मीटिंग या आपके बच्चे की शिक्षा के संबंध में कोई अन्य बातचीत शामिल हैं।

स्कूल को केवल ऐसे सक्षम दुभाषियों का उपयोग करना चाहिए, जो अंग्रेज़ी और आपकी भाषा धाराप्रवाह बोलते हैं। स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुभाषिया मीटिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाली किसी भी शब्द और अवधारणा को समझता है। स्कूल को छात्रों या बच्चों को दुभाषिया के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए।

इंटरप्रेटर तटस्थ होना चाहिए और बातचीत के दौरान कहीं गई सभी बातों को संचारित करने में समर्थ होना चाहिए। वे किसी की कहीं बातों में से कुछ छोड़ या उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुभाषिये अपनी भूमिका को और जानकारी गोपनीय रखने की ज़रूरत को समझते हैं। इंटरप्रेटर व्यक्तिगत तौर पर या फ़ोन पर हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट का कर्मचारी या बाहरी संविदाकार (कॉन्ट्रैक्टर) हो सकता है।

स्कूल पर होने वाली किसी भी मीटिंग या बातचीत के लिए या या आपके बच्चे की शिक्षा के बारे में जानकारी के लिए स्कूल को दुभाषिया उपलब्ध कराना चाहिए। यदि आपको एक इंटरप्रेटर चाहिए, तब भी आप स्कूल से अनुरोध कर सकते हैं।



## लिखित जानकारी

स्कूल को महत्वपूर्ण लिखित जानकारी का अनुवाद आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बोली जाने वाली सबसे आम भाषाओं में करना चाहिए। यदि आपको ऐसी भाषा में जानकारी प्राप्त होती है, जो आपकी भाषा नहीं है, तो कृपया स्कूल को बताएँ कि क्या आप अपनी भाषा में इसका अनुवाद लिखित में करवाना चाहते हैं या मौखिक रूप में समझना चाहते हैं।

## चिताओं और शिकायतों का समाधान करना

### ये आपके अधिकार हैं!

राजकीय और संघीय नागरिक अधिकार कानूनों के अंतर्गत आपको अपनी भाषा में जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। यदि स्कूल की इंटरप्रेटेशन या अनुवाद सेवाओं को लेकर आपकी चिताएँ हैं—या यदि आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार इंटरप्रेटर या अनुवाद उपलब्ध नहीं कराया गया था—तो आपके पास कई विकल्प हैं।

1. अपने प्रधानाचार्य या स्कूल के किसी कर्मचारी से बात करें, जिनके साथ आप सहज महसूस करते हैं। अपनी चिताओं का समाधान करने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ चर्चा करना अक्सर सबसे अच्छा पहला कदम होता है। समझाएँ कि क्या हुआ और प्रधानाचार्य को बताएँ कि इस समस्या का समाधान करने के लिए वे क्या कर सकते हैं।
2. अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट से बात करें। आप अपनी चिताएँ साझा करने के लिए भी अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट से बात कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के नागरिक अधिकार समन्वयक या अधीक्षक को कॉल कर सकते हैं।
3. अपनी चिताओं का समाधान करने के लिए सहायता का अनुरोध करें। आप अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए या अपनी चिताओं के समाधान में सहायता प्राप्त करने के लिए इन एजेंसियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

Equity and Civil Rights Office  
Office of Superintendent of Public Instruction  
360-725-6162 | [www.k12.wa.us/equity](http://www.k12.wa.us/equity)

Office of the Education Ombuds  
206-729-3251 | [oeo.wa.gov](http://oeo.wa.gov)

4. आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए, लिखित में बताएँ कि क्या हुआ था—किसी भी भाषा में—और उसे डाक, ईमेल या हस्त वितरण द्वारा डिस्ट्रिक्ट को भेज दें। अपने रिकॉर्ड के लिए एक प्रतिलिपि संभालकर अवश्य रख लें।

30 कैलेंडर दिवस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट आपकी शिकायत की जाँच करेगा और आपको लिखित में जवाब देगा। अपने शिकायत विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ ऑनलाइन दी गई है: [www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx](http://www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx).

कृपया जान लें कि स्कूल चिताएँ साझा करने या शिकायत दर्ज करने के लिए आपके या आपके बच्चे के खिलाफ प्रतिकार स्वरूप कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

